Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC VKSU
Date - 08.07.2021, B A I (Subs.)

लोकतांत्रिक समाजवादी न्याय सिद्धांत

इस सिद्धांत को मार्क्सवादी और अराजकतावादी धुरी के बीच का मध्य मार्ग कहा जा सकता है। इन्हें नियमित और नियंत्रित पूंजीवाद में भी न्यायपूर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ती है। राज्य और सरकार के माध्यम से न्याय प्राप्ति का प्रयास करते हैं। शोषण और न्याय का सह अस्तित्व संभव नहीं है न्याय के विचार में समानता का विचार तो सम्मिलित होना ही चाहिए। उदारवादियों और स्वतंत्रवादियों की भांति इनका भी विचार है कि न्याय वहीं संभव है जहां विधिसंगत कानून व्यवस्था हो किंतु वह व्यवस्था समाज सेवा से प्रेरित होनी चाहिए, सत्ता की गरिमा से नहीं। यह सिद्धांत कानून के शासन में विश्वास करता है और आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के विस्तारीकरण ~~के लिए~~, विकेंद्रीकरण तथा संघीयकरण के भारी काम व दायित्व भी न्यायलयों को ही सौंप देता है। इनकी दृष्टि में न्याय एक व्यवस्था है, एक निर्धारण करने योग्य लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति लोकतांत्रिक आधार वाली सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों से हो पाएगी। इनका कानून और न्यायालय की व्यवस्था में विश्वास, मनुष्य की स्वतंत्रता ~~में~~ विश्वास उदारवाद के करीब तथा शोषण रहित व्यवस्था में विश्वास का लक्ष्य मार्क्सवाद के निकट ले जाता है। इस सिद्धांत में न्याय स्वतंत्रता और समानता दोनों से संबद्ध है। जितना दो उसी के अनुपात में लो के सिद्धांत का नारा दिया होगा।

न्याय का उपाश्रित सिद्धांत – (उपाश्रित = Subaltern)

सामाजिक विज्ञानों में उपाश्रित का अर्थ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्तर पर है - गरीब, पिछड़े हुए, पीड़ित अर्थात समाज का कमजोर वर्ग। उपाश्रित में अति गरीब किसानों, आदिवासियों, खेतिहर मजदूरों, दलितों और कमजोर वर्गों को शामिल करते हैं यह सामाजिक न्याय की मांग करते हैं इसके दो प्रकार के उद्देश्य स्पष्ट हैं:- 1. सभी प्रकार के भेद-भाव की समाप्ति 2. सामाजिक समानता पाने के लिए विशेष व्यवस्थाओं की मांग। इसका बोध केवल आर्थिक नहीं ~~केवल~~ बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षणिक और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक भी है। समाज के इन वर्गों को विकास की आवश्यकता के साथ-साथ विकास का एहसास कराया जाना भी आवश्यक है। यह सिद्धांत संरक्षण वादी विभेद की बात करता है जिसमें उपाश्रित वर्ग का जीवन स्तर ऊपर उठे साथ ही उन्हें समानता का अनुभव भी हो। इस सिद्धांत में यह उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्र निर्माण में इन वर्गों के योगदान के लिए इन्हें उचित सहारा देकर इनकी शक्ति और प्रतिभा की क्षमता तथा उसमें वृद्धि की जा सकती है। ये लोग बहुत ही संतोषी और पर्यावरण प्रिय जीव हैं थोड़े में संतुष्ट रहते हैं। इनके इस गुण को और परिष्कृत कर जनसाधारण में लोकप्रिय बनाया जा सकता है

→

Scanned with CamScanner